

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल०-53/2023-

/स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० कुमारी रंजना, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पातेपुर, वैशाली द्वारा दूसरी संतान के प्रसव हेतु उपभोगित अवकाश अवधि दिनांक-28.12.2023 से 27.06.2024 तक को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है :-

- (i) दिनांक-28.12.2023 से 24.06.2024 तक - कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिन मातृत्व अवकाश के रूप में।
- (ii) दिनांक-25.06.2024 से 27.06.2024 तक - कुल-03 (तीन) दिन देय अवकाश के रूप में।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापक-2/एल०-53/2023- 1309(2) पटना, दिनांक 29/7/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पातेपुर, वैशाली/कोषागार पदाधिकारी, वैशाली/डा० कुमारी रंजना, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पातेपुर, वैशाली को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।